



प्रेषक,

निदेशक,  
पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/  
आहरण-वितरण अधिकारी,

एटा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, मऊ,  
चन्दौली, बलरामपुर, बागपत, शामिली तथा सम्भल।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010300

संख्या-1/570/2020-1/02/2020 : लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2021

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-21/2020/821/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू०-रू०-27,69,978/- (रू० सत्ताइस लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ अठहत्तर मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-


1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
11. बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

12. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
14. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2020-21 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसे दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को समर्पण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-71 पर अंकित है।


संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,  
  
 (किंजल सिंह)  
 निदेशक,  
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/570/2020 तददिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
 (ब्रजेश कुमार)  
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
 पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2020-2021  
आवंटन दिनांक-04/03/2021

प्रेषण संख्या:- 1-570-2020-1-02-2020  
आवंटन आदेश संख्या:- 012-01-02-2020  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
101 - पंचायती राज  
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	01-वेतन	03-महगाई भत्ता	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	88026 3392837	23340 563956	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 158500	111366 4141293
2	शाहजहापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8533 5624130	0 979062	0 16000	0 0	0 20000	0 0	0 285018	8533 6924210
3	फरुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	250000 3969990	100000 732400	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 209756	350000 4938146
4	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	244677 4715274	34550 794550	0 6000	0 0	0 20000	0 0	9560 207920	288787 5743744
5	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 5684300	292387 1253143	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 489400	292387 7452843
6	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 6014566	0 1375573	0 6000	0 0	50000 70000	0 0	0 241086	50000 7707225
7	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	70491 5568673	60699 995389	0 26000	0 150000	0 20000	50000 75000	0 212871	181190 7047933
8	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	547034 4541287	82769 761450	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 245084	629803 5573821
9	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 4335348	0 729963	6000 12000	80000 80000	0 20000	0 0	0 142920	86000 5320231
10	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	211181 2142997	0 506460	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 85480	211181 2760937
11	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	90185 3700203	70187 676334	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 152333	160372 4554870
12	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	300000 1697900	65000 302643	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 58920	365000 2085463

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	55-मकान किराया भत्ता	योग
13	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20724 2298724	0 389757	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 91082	20724 2805563
14	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14516 1739016	119 293284	0 6000	0 0	0 20000	0 0	0 77040	14635 2135340
	योग	वर्तमान प्रगामी	1845367 55425245	729051 10353964	6000 120000	80000 230000	50000 330000	50000 75000	9560 2657410	2769978 69191619

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्ताइस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अठहत्तर

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ इकानवे लाख इकानवे हजार छः सौ उनीस

(बृजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी